वशिेष ग्राम सभा, महलिा सभा का आयोजन

प्रीलमि्स के लयि:

महलिा सभा, अंतर्राष्ट्रीय महलिा दविस

मेन्स के लयि:

स्थानीय स्वशासन में महलिाओं की भूमकिा

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 8 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महलिा दविस के अवसर पर सभी राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को ग्राम पंचायतों में वशिेष ग्राम सभा और महलिा सभा का आयोजन करने का नर्दिेश दयिा है।

मुख्य बदिु:

- पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय महलिा दविस का वषिय ' पीढ़ी समानता: महलिाओं की अधकिार प्राप्तर्ि (Generation Equality: Realizing Women's Right) है।
- इसके अतरिक्ति सभी ग्राम पंचायतों से 8- 22 मार्च, 2020 तक महलिा और बाल वकिास मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार पोषण पखवाड़ा आयोजति करने को भी कहा गया है।

ग्राम सभाओं और महलिा सभाओं के आयोजन से संबंधति वषिय:

- पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, इन वशिेष ग्राम सभाओं और महलिा सभाओं का आयोजन 'कम्युनटिी रसिोर्स पर्सन' (Community Resource Persons-CRPs) जैसे- आँगनवाड़ी, आशा, सखी तथा एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife-ANM) के सहयोग से कयिा जाएगा।
- ग्राम सभाओं में पोषण पंचायत, भूमअिधकिार, शक्षिा, सुरक्षा, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य तथा महलिाओं के लयि समान अवसर जैसे वषियों पर वचिार-वमिर्श कयिा जाएगा।
- वशिेष ग्राम सभाओं में लगि नर्धिारण जाँच पर पाबंदी, लड़की के जन्म को समारोह के रूप में मनाने तथा सभी महलिाओं के लयि प्रसवपूर्व देखभाल और नवजात देखभाल से संबंधति वषियों पर चर्चा की जाएगी।
- इन वशिेष ग्राम सभाओं में प्रत्येक लड़की के लयि उचति देखभाल, पौष्टकि आहार तथा टीकाकरण, लड़कयिों को स्कूल जाने के लयि प्रोत्साहति करने और उनके लयि घर तथा स्कूल में सुरक्षति माहौल पर ध्यान देने के साथ ही उन्हें स्कूली शक्षिा पूरी करने हेतु प्रोत्साहति कयिा जाएगा।
- बाल ववािह पर पाबंदी, महलिाओं तथा लड़कयिों के साथ होने वाली हसिा दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने, ग्राम पंचायतों में नर्वाचति महलिा प्रतनिधियिों की सक्रयि भागीदारी और नर्णिय लेने में उनके योगदान तथा ग्राम सभाओं में भागीदारी के लयि महलिाओं को प्रोत्साहति करने जैसे वषियों पर चर्चा की जाएगी।
- इन सभाओं के आयोजन के दौरान नवजात शशिुओं के शारीरकि और मानसकि वकिास के लयि जन्म के बाद पहले 1000 दनिों तक स्तनपान करने तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भूमकिा जैसे वषियों को चर्चा में शामलि कयिा जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं में महलिाओं की भूमकिा:

- सामुदायकि सक्रयिता को बढ़ाने और समुदाय के व्यवहार परविर्तन के अग्रदूत के रूप में काम करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमकिा बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- 73वें संवधिान संशोधन ने ग्रामीण स्वशासन को स्वायत्तता प्रदान की और शासन संचालन को आम जनमानस के नकिट ला दयिा।
- इस संशोधन से महलिाओं को पंचायतों में एक-तहिाई आरक्षण प्राप्त हुआ।
- अब तक 20 राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में महलिाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतशित करने हेतु कानून पारति कयिा है।
- इसके परणिामस्वरूप 30.41 लाख नर्वाचति प्रतनिधियिों में से 13.74 लाख (45.2 प्रतशित) महलिाएँ हैं।

- इनमें से कुछ सामाजिक रूप से पछिड़े समूहों से भी हैं जो अब नेतृत्त्व प्रदान करने की स्थिति में हैं।

अन्य नवाचार:

- पंचायती राज मंत्रालय ने समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये **ग्राम पंचायत** स्तर पर एकीकृत विकास नियोजन के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan- GPDP) का ढाँचा तैयार किया है।
- GPDP संबंधी दिशा-निर्देशों को वर्ष 2018 में संशोधित किये जाने के बाद इन दिशा-निर्देशों के कुछ प्रमुख पहलू महिला सशक्तीकरण के लिये प्रासंगिक हो गए हैं।
- इन संशोधनों में बजट बनाने, नियोजन, जीपीडीपी की निगरानी तथा क्रियान्वयन सामान्य ग्राम सभा से पहले महिला सभाओं का आयोजन कराना शामिल है।
- ये सभी पहलू पंचायती राज मंत्रालय के विज़न दस्तावेज़ 2024 का हिस्सा हैं।

आगे की राह:

- लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है।
- संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।
- प्रकृति द्वारा किसी भी प्रकार का लैंगिक विभेद नहीं किया जाता है। समाज में प्रचलित कुछ तथ्य जैसे- महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा जैविक रूप से कमज़ोर होती हैं इत्यादि केवल भ्रांतियाँ हैं।
- दरअसल महिलाओं में विशिष्ट जैविक अंतर, विभेद नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त विशिष्टताएँ हैं, जिनमें समाज का सद्भाव और सृजन निहित हैं।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gram-sabhas-and-mahilasabhas